



केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण Central Adoption Resource Authority

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Women & Child Development, Government of India



बच्चे का रेफरल (सामान्य स्वास्थ्य)

{ निवासी भारतीय (RI)/ अनिवासी भारतीय (NRI)/ भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक (OCI) और विदेशी भावी दत्तक माता पिता (Foreign PAPs) के लिए रेफरल चक्र 15 जनवरी, 2024 से सप्ताह में पांच बार अर्थात सोमवार को प्रातः 10:00 बजे, मंगलवार को प्रातः 11:00 बजे, बुधवार को दोपहर 12:00 बजे, गुरुवार को दोपहर 1:00 बजे एवं शुक्रवार को दोपहर 2:00 बजे चलाया जा रहा है। }

प्रथम चरण

निवासी भारतीय (RI)/ अनिवासी भारतीय (NRI)/ भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक (OCI) भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) के लिए वरिष्ठता के अनुसार रेफरल।

बच्चे < 5 वर्ष = 60 दिन तक
बच्चे > 5 वर्ष या सहोदर = 30 दिन तक

द्वितीय चरण

जो बच्चे प्रथम चरण में आरक्षित नहीं हुए

'7 दिन का टैब'

निवासी भारतीय (RI)/ अनिवासी भारतीय (NRI)/ भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक (OCI) भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) द्वारा बिना वरिष्ठता के सीधे तौर पर आरक्षण।

प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 10:00 बजे

तृतीय चरण

जो बच्चे द्वितीय चरण में आरक्षित नहीं हुए

विदेशी भावी दत्तक माता-पिता (Foreign PAPs) को उनकी वरिष्ठता के अनुसार 15 दिनों के लिए रेफरल

चतुर्थ चरण

जो बच्चे तृतीय चरण में आरक्षित नहीं हुए

तत्काल प्लेसमेंट टैब (Immediate Placement Tab)
(वे बच्चे जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है)

निवासी भारतीय (RI)/ अनिवासी भारतीय (NRI)/ भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक (OCI) और विदेशी भावी दत्तक माता-पिता (Foreign PAPs) द्वारा बिना वरिष्ठता के सीधे तौर पर आरक्षण।

नोट: समय-सीमा की गणना उस तिथि से की जाएगी जब बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा बच्चे को दत्तक-ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित करने वाला प्रमाण पत्र अपलोड किया जाएगा।

संदर्भ: दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 का विनियम 8

अभिहित पोर्टल: बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)

Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 (भारत) West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)

कारा हेल्पलाइन नंबर: 1800-111-311 [सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर)]

CARA HelplineNo.: 1800-111-311 [Available between 8:00 AM to 8:00 PM (Mon-Fri, Except Gazetted Holidays)]

ईमेल/E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, वेबसाइट/Website: <https://cara.wcd.gov.in>, CARINGS: <https://carings.wcd.gov.in>

REFERRAL OF CHILD (NORMAL HEALTH STATUS)

(Referral cycle for RI/NRI/OCI & Foreign PAPs is being executed five days in a week from 15th January, 2024 i.e. Monday at 10:00 AM, Tuesday at 11:00 AM, Wednesday at 12:00 Noon, Thursday at 1:00 PM and Friday at 2:00 PM)

STAGE - I

Referral for RI/NRI/OCI PAPs
as per seniority

Children < 5 years = up to 60 days
Children > 5 years or siblings = up to 30 days

STAGE - II

Children not reserved in
Stage I

'7 Days Tab'

Direct reservation by RI/NRI/OCI PAPs
irrespective of their seniority

Every Tuesday at 10:00 AM

STAGE - III

Children not reserved in
Stage II

Referral for 15 days for Foreign PAPs as per their seniority

STAGE - IV

Children not reserved in
Stage III

Immediate Placement Tab
(Children who have not completed 18 years of age)

Direct Reservation by RI/NRI/OCI & Foreign PAPs
irrespective of their seniority.

Note : Time limit shall be calculated from the date when the certificate issued by the CWC declaring the child as legally free for Adoption is uploaded.

Reference: Regulation 8 of Adoption Regulations, 2022

Designated Portal: ChildAdoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

RI : Resident Indian | NRI: Non-Resident Indian | OCI: Overseas Citizen of India

PAPs: Prospective Adoptive Parents | CWC : Child Welfare Committee

